पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

पालमाण्डव

गाँव - पालमाण्डव

पंचायत -पालमाण्डव

तहसील-दोवड़ा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास

पाल माण्डव गाँववासियों के अनुसार पाल माण्डव में माना नाम का आदमी था जो उसके नाम से पाल माण्डव का नाम पड़ा तथा पाल माण्डव में चारों तरफ जंगल व पहाड़ है । यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, एक आयुर्वेदिक औषधालय है। पालमाण्डव में धरियाधरा फला में एक पहाड़ से हनुमान जी की मूर्ति निकली तथा यह मूर्ति धरियाधरा से मातरिवा ले जा रहे थे तो रास्ते मे मुलि सलाय की पाल में स्थापित की गई। जब अग्रेजों का शासन था सब से गाँव पालमाण्डव बसा।

गाँव पाल माण्डव की धार्मिक पहचान कुल देवी से होती है। जहॉ गाँव में परमारो की कुल देवी बिजहण माता की पूजा होती है। पाल माण्डव में हनुमान जी का मंदिर है जो की यहाँ दूर-दूर से दर्शन करने आते है तथा यहाँ प्रसाद बनाते है तथा हनुमान जी को भोग चढाते है।

पालमाण्डव गाँव का परिचय

पालमाण्डव गाँव पालमाण्डव ग्राम पंचायत का एक राजस्व गाँव है । जो कि डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। पालमाण्डव गाँव के सबसे करीबी गाँव और उनकी दूरी क्रमशः है - कोलखंडा 5.4 किमी, रागेला 6.6 किमी, पुनाली 7.9 किमी, आंतरि 8.5 किमी, हथाई 14 किमी । पालमाण्डव गाँव की सीमा से उत्तर में माताटेबा, हड़मतिया, पूर्व में समोता, दक्षिण में बैण और कहारी सीमा, और पश्चिम में दरा - खंडा गाँव है ।

राजस्व गाँव पालमाण्डव में 4 फलें है-

1. डूंगरा ।
2. डूंगरा ।।
3. रेटा फला
4. मलोता फला

पालमाण्डव गाँव में ही पंचायत भवन है। पालमाण्डव गाँव में शिलालेख वर्ष 2018 को हुआ और गाँव सभा का गठन भी उसी दिन कर दिया गया । पालमाण्डव गाँव में लगभग 400 घर है जिनकी आबादी लगभग 2200 है । गाँव में एस. टी. जाति के भील, परमार, ननोमा, कटारा, अहारी परिवार के लोग रहते है। गाँव में अभी वर्तमान में लोगों को राजस्थान सरकार के पेसा कानून के नियमों की जानकारी बहुत कम है । हर माह एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । जिसमे गाँव की समस्याओं तथा आपसी मुद्दों को सुलझाया जाता है । कभी कभी मुद्दा गंभीर हो तो यह मीटिंग अकस्मात भी बुला ली जाती है - जैसे परिवार में जमीन का झगडा या किसी फले की बात को लेकर ।

गाँव की पूरी जमीन 689 हेक्ट है जिसमें कृषि योग्य जमीन 244 हेक्ट है तथा बेनामी जमीन 314 हेक्टहै । गाँव में जंगल 180 हेक्ट है जो कि सरकार और वन विभाग के अधिकार में है। गाँव में जंगल, बिलानाम-चारागाह-कृषियोग्य भूमि, 1 नाला,5 तालाब, पहाड़, 3 विद्यालय, 2 माँ-बाड़ी केंद्र, 3 सामुदायिक भवन, 1 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 1 पोस्ट ऑफिस, 2 आंगनवाड़ी, 30 हैंडपंप, 3श्मशान घाट, 1 पुलिस थाना, 1 वन-विभाग नर्सरी, 1 पॉवर हाउस, 1 पशु चिकित्सालय, 1 बीज गोदाम, 1 राशन की दुकान, 15कुएं, 2 बड़े एनिकट, 3 सी.सी. रोड, 10 कच्ची सड़क है ।

आवागमन की स्थिति

पालमाण्डव गाँव की एकमात्र मुख्य सड़क पक्की डामरीकृत है जो आगे हड़मतिया गाँव निकल जाती है । इसके अलावा 3 सी.सी. रोड है लेकिन गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए 10 कच्ची सड़क ही है। गाँव के मुख्य सड़क से सरकारी बस 5-6 किमी की दूरी पर और प्राइवेट बस 2 किमी की दूरी पर मिल जाती है । ऑटो,जीप तथा निजी वाहन दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है, लेकिन गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। खरीदारी के लिए बाजार पुनाली पंचायत में है और मुख्य बाजार डूंगरपुर 26किमी दूर जाना पड़ता है,जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है। डूंगरपुर आने के के लिए मुख्य सड़क से बस या जीप मिल जाती है।

स्वास्थय व शिक्षा

गाँव में 3 प्राइमरी विद्यालय है जिसमे 320 छात्र है और 6 अध्यापक है । 1 प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है क्योंकि बारिश में पानी टपकता है और 2 प्राइमरी स्कूल में खेल का मैदान तथा शौचालय की हालत जर्जर है, जिसके लिए वे प्रार्थना पत्र दे चुके है । तीनों स्कूलों में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है । उच्च शिक्षा के लिये डूंगरपुर 26 किमी दूर शहर में आना पड़ता है,जिस कारण बच्चे यही पर कमरा किराये पर लेकर रहते है । गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाते है ।

गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है जो सही हालत में है और दवाइयाँ भी मिल जाती है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 5 किमी दूर दामडी में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बडा हॉस्पीटल 26 किमी दूर डूंगरपुर में है। पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल हडमतिया गाँव में है।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के सिर्फ 100 घरों में बिजली है। गाँव में 50 प्रधानमंत्री आवास और बाकी ज्यादातर को इंद्रा आवास योजना के अंतर्गत मकान मिले है । गाँव में 160 पेंशनधारी है,जिनमें 60 महिलाओं को तथा 50 पुरूषों को वृद्वापेंशन और 40 महिलाओं को विधवा पेंशन और 10 महिलाओं को एकलनारी पेंशन मिलती है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि योग्य जमीन 244 हेक्ट है, जिसपर गेंहू, मक्का, उडद, मुंग और चना की खेती की जाती है। लेकिन यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। रोजगार के नाम पर मनरेगा का काम गाँव में चलता है जिसमे महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकी पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है।

सिंचाई की व्यवस्था एवं स्थिति

सिंचाई के लिए 5 तालाब, 15 कुआँ, 1 नाला की सुविधा है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु में पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है और इनमे पानी की कमी हो जाती है । इसके अलावा 2 एनिकट है जिनकी स्थिति तो अच्छी है लेकिन पानी ग्रीष्म ऋतु के मध्य में सूख जाता है ।

अन्य

1 पोस्ट ऑफिस भी गाँव में है ।

गाँव की विभिन्न चिन्हित समस्याओं का विवरण

प्राकृतिक संसाधनों का विघटन

गाँव में जंगल 180 हेक्ट है जो कि सरकार और वन विभाग के अधिकार में है। प्राकृतिक संसाधनों के नाम पर गाँव में जंगल, बिलानाम-चारागाह-कृषियोग्य भूमि है लेकिन सामुदायिक दावा नहीं किया है, ना ही किसी को व्यक्तिगत पट्टे मिले है । आज से जंगल और पहाड़ियाँ हरी-भरी थी, अब वहाँ पर कटीली झाडिया और बबुल के पेड है जो किसी काम नहीं आते है । गाँव में बड़े पहाड़ है,लेकिन छोटी-छोटी डुंगरियों पर लोगो ने कब्ज़ा कर रखा है।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में अधिकतर लोगों को जमीन के पट्टे नहीं मिले है । गाँव में जिन लोगों के पास खातेदारी हक है वो न्यूनतम दो बीघा और अधिकतम पांच बीघा भूमि का है । ज्यादातर खेत उबड़-खाबड़ होने के कारण समतलीकरण की आवश्यकता है । सिंचाई के पानी की कमी के चलते खेतों में केवल बारिश की पानी से ही फसल पैदा की जाती है । गाँव में पानी की व्यवस्था के लिए 5 तालाब है लेकिन गहराई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। बारिश के पानी को रोकने के लिये 10 एनीकट है, ये गर्मीयों के मौसम में सूख जाते है, क्योंकि पानी का रिसाव होता रहता है । गाँव में पानी का स्तर 250 फुट से नीचे है। गाँव में 15 कुएं है,जिनमें हर साल गर्मी के महीने में पानी खत्म हो जाता है। गाँव में 30 हेण्डपम्प है। जिनमें से 15 गर्मी के मौसम में सूख जाते है। सभी हेण्डपम्प और बोरवेल का पानी खारा फ्लोराइड युक्त है । वर्षा के जल को संरक्षित करने के विषय की ओर हाल फिलहाल गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

आवागमन की समस्या

गाँव की सीमा पर मुख्य सड़क पक्की सड़क है इसके अलावा 3 सी.सी. रोड है लेकिन गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए 10 कच्ची ग्रेवल सड़क ही है। गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए जितनी भी कच्ची सड़के है वो इतनी छोटी है की गुजरने वाला राहगीर पैदल या मोटर साइकिल से जा सकतेहै । सी.सी. सड़को पर खड्डे हो गये है जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंकारहती है । बिमार व्यक्ति को उपचार के लिए ले जाने में समस्या आती है । बारिश के मौसम में कच्ची सडको पर चलने वालो को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति

गाँव में 404 घर है, लेकिन पढने वाले बच्चों के लिए केवल 3 प्राइमरी विद्यालय जिसमे 320 छात्र है और 6 अध्यापक है । कम अध्यापकों के चलते बच्चों की पढाई भी बाधित हो रही है । वर्तमान में नियुक्त अध्यापक भी समय पर स्कूल नहीं आते है । 1 प्राथमिक स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है क्योंकि बारिश में पानी टपकता है और 2 प्राइमरी स्कूल में खेल का मैदान तथा शौचालय की हालत जर्जर है । उच्च शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में आना पड़ता है, अधिकतर बच्चे रोजाना आते-जाते है । गाँव के सरकारी स्कूल के शौचालय में बारिश का पानी टपकता है। गाँव की 2 आंगनवाडी है । गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है जो सही हालत में है और दवाइयाँ भी मिल जाती है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 5 किमी दूर दामडी में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बडा हॉस्पीटल 26 किमी दूर डूंगरपुर में है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी और मुर्गीपालन किया जाता है । पर्याप्त मात्रा में बारिश ना होने के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जा सकता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरिदते है या फिर 4-5 परिवार वाले मिल कर 15000 से 17000 रूपये में भूसे का ट्रक खरिदते है।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

पालमाण्डव गाँव में केवल बारिश के मौसम में ही मुख्य फसल उगा ली जाती है, इसके अलावा जिन किसानो के पास सिंचाई करने के लिए बोरवेल है वे मोटर के जरिये पानी निकाल कर फसल का उत्पादन करते है । गाँव में भू-जल स्तर 200 फुट से भी नीचे चला गया है। पानी के संबंध में चिंता का विषय यह है की आने वाले कुछ सालो में भू-जल स्तर कितना गहरा हो सकता है, यदि इसके संरक्षण का उचित प्रबन्ध नहीं किया गया । अगर वर्तमान में जो स्थिति बारिश की मात्रा और पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है । गाँव के हैंडपंप आधे से ज्यादा सूख जाते है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा है । गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये करीब 15 कुऐं, 5 तालाब और 2 एनिकट है। लेकिन अधिकतर गर्मी के मौसम में सूख जाते है। गाँव में गेहूँ, ग्वार, मक्का, उडद, तुहर, चने की खेती की जाती है, जो कि केवल 4 या 5 माह ही चल पाता है,खेती से होने वाला अनाज पर्याप्त नहीं होने के कारण खरीद कर लाना पड़ता है। जिसके लिये सरकारी उचित मूल्य की दुकान हडमतिया गाँव में 2 किमी दूर है राशन की दुकान पर गेहूं मिलता है, चीनी तथा केरोसीन त्यौहारों पर ही मिलता है। राशन दुकान पर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट ना आना या इन्टरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है और दूसरे गाँव के लोग भी आते है,जिसके कारण काफी लम्बी लाइन राशन लेने के लिये लग जाती है। तो लोगो को बार बार अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ने की मज़बूरी रहती है ।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार का मुख्य साधन खेती और मजदूरी है । रोजगार की स्थिति भी काफी खराब है,गाँव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर,सूरत,मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते है। गाँव में नरेगा पर काम मिलता है। जिसमें सबसे ज्यादा गाँव की महिलायें जाती है तथा जो पुरुष यहां रह कर खेती करते है वे भी नरेगा में काम पर जाते है। वर्तमान में मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये तक ही दी जाती है। कुछेक लोगों को काम करने के बाद मस्टरोल के रूपये नहीं मिले है।

अन्य

गाँव में 3 श्मशान घाट है लेकिन उनपर टीन या छाया की व्यवस्था नहीं है न ही कोई बैठक व्यवस्था है । गाँव में आर.प्लांट की सुविधा नहीं है जिस कारण निवासी फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल	गाँव में कोई नदी नहीं है । गाँव में 1 नाला है। जो बारिश के मौसम में चालू रहता है लेकिन बारिश के मौसम के बाद ही सूख जाता है । 2 एनीकट बने हुए है, उनमे पानी बारिश के समय ही रहता है, इसके पश्चात रिस कर निकल जाता है । गाँव में 15 कुएं और 30 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं आता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है । गाँव में सिंचाई और मवेशियों के पानी के लिये 5 तालाब है लेकिन गर्मी समाप्त होने से पहले ही सभी में पानी सूख जाता है । ऐसी स्थिति में मवेशियों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है । गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है।	पांचो तालाब को गहरा करवा कर रिंगवाल बनाई जाये तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है और सिचाई भी पूरी हो सकती है । दोनों एनीकटो को मरम्मत करके ठीक किया जाये और अगर नहर निकाली जाये तो खेतों में पानी की सुविधा अच्छी हो सकती है । नाले के रास्ते पर छोटे छोटे चेकडेम बनाये जाए इससे तालाब में भी पानी अधिक समय तक रुक जाएगा और गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकी फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए ।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव में जमीन समतल नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। गाँव की पूरी जमीन 689 हेक्ट है जिसमें कृषि योग्य जमीन 244 हेक्ट है तथा बेनामी जमीन 314 हेक्ट है । गाँव में जंगल 180 हेक्ट है जो कि सरकार और वन विभाग के अधिकार में है। बरसात में घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव की उबड़-खाबड़ जमीनों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। पाईप लाइन की व्यवस्था करके सिंचाई की कमी पूरी हो सकती है । गाँव की बेकार पड़ी जमीन जिस पर किसी प्रकार की खेती या उपज नहीं होती है, को गाँवसभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क	गाँव में 1 पक्की सड़क है लेकिन इनकी हालत काफी ख़राब हो चुकी है। 3 सी.सी. सड़क और 10 कच्ची मिट्टी की सड़क	गाँव की पक्की सड़क को सही किया जाये । यदि गाँव के सभी कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये और सी.सी. सड़कों

पक्की सड़क	है। सी.सी. सड़क में गड्डे पड़ गये है जिसके कारण हादसों की सम्भावना बनी रहती है।	को चौड़ा करके पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी।
प्राइमरी स्कूल	गाँव में 3 प्राइमरी स्कूल है । तीनो प्राइमरी स्कूलों की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है, खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं है । बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त अध्यापक भी नहीं है । जिससे बच्चों की पढाई का स्तर एकदम गिर गया है ।	प्राइमरी स्कूल में छत के ऊपर चाइना मोजिक करवाकर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है, शौचालय की भी मरम्मत करवाई जा सकती है। खेल के मैदान की बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है । स्कूल में बच्चों पीने के पानी के लिए आर.ओ. प्लांट लगाया जा सकता है ताकी बीमारियों से मुक्त रहे ।
आंगनबाड़ी केंद्र	गाँव में 1 आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन इसकी छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता है और फर्श भी टूट गयी है । बाहर लगा हैंडपंप भी ख़राब हो गया है ।	छत और फर्श की मरम्मत करवानी है । छोटा आर.ओ. प्लांट लगाना है ।
शमशान घाट	गाँव का तीनों शमशान घाट पूरी तरह से टूट चुके है, ना तो वहां पर टीनशेड है ना ही चबूतरा है।	नए सिरे से निर्माण करवाना है और एक बैठने के लिए कमरा बनवाना है ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में 3 प्राथमिक स्कूल है, सभी विषय के अध्यापक नही है नियुक्त अध्यापक भी समय पर नहीं आते है । प्राइमरी स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है ।	गाँव के तीनों स्कूलों में पूरे अध्यापक नियुक्त किये जाये और माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था की जाये और अध्यापकों कों समय पर आने के लिए पाबंद किया जाना चाहिये ।	तात्कालिक

2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव का जलस्तर 200 फिट से नीचे चला गया है । गाँव में 15 कुएं और 30 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा सूखे है या पानी नहीं आता है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। दूषित जल पीने से बिमारिया हो रही है ।	जो हैंडपंप बंद हो गये है उन्हें गहरा कर चालू करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकी फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	**दीर्घकालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। सिंचाई के लिए 1 नाला है और बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 2 एनिकट और 5 तालाब है लेकिन एनिकट जर्जर होने के कारण पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है ।	अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत उबड़ खाबड़ खेतों को समतल करना, बारिश के पानी को रोकने के लिए ढलान वाले इलाकों में कच्चे चेक डैम का निर्माण। गाँवके नाले में पानी रोकने की योजना। घर के आँगन में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में 1 ही पक्की सड़क है । सी.सी. सड़कों की हालत तेज बारिश होने के कारण काफी ख़राब हो गयी है जिसके कारण हादसों की संभावना बनी रहती है । कच्ची सड़के भी बारिश के समय कीचड़ में हो जाती है । आने-जाने में समस्या रहती है ।	गाँवसभा कमेटियों के गठन के बाद कच्ची सड़क कों सी.सी. सड़क में बदलना और जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और टूटे हुए रास्तों को फिर से ठीक करना ।	**तात्कालिक**

5	**सरकारी योजनाओं की सहीं क्रियान्विति ना होना - आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव में अभी भी लोगो कों आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है । उनके नाम सूची में नहीं जुड़े है । और जिनके आवास तैयार है उनको पूरी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है । पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन भी बंद है।	गाँवसभा के जागरूक सदस्यों के द्वारा सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना।जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**
6	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	गाँव में लोग सैकड़ो सालों से रह रहे है, लेकिन उन्हें उनके कब्जे की जमीन का खातेदारी हक पट्टा नहीं मिला है । वर्तमान में सरकार ने राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करना और छीन लेने का संकट खड़ा हो गया है।	व्यक्तिगत दावा और जंगल की जमीन के लिए सामुदायिक दावा करना । कब्जे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**
7	**खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	राशन की दुकान हड़मतिया गाँव में है वहां और भी दूसरे गाँव से लोग आते है और अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की	राशन की दुकान पालमांडव में ही खोली जाये और ऐसे स्थान पर हो जहाँ इन्टरनेट की समस्या ना आये । जिन लोगों कों राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए	**तात्कालिक**

			समस्या आती रहती है । अनाज में केवल गेहूँ दिया जाता है, शक्कर और केरोसिन त्यौहार पर मिलता है ।	गाँव सभा में प्रस्ताव लेना ।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	पक्की सड़क केवल गाँव में जाने के लिए है । कच्ची सड़कों को सी.सी और चौड़ा नहीं करना सी.सी. सड़क के गड्डे सही नहीं करवाना।	रास्ते अच्छे होने से बीमार लोगों को आसानी से समय रहते इलाज मिल सकता है । लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। रोड लाइट लगने से दुर्घटनाओ की संभावना कम हो जायेगी ।	गाँव के लोगो में इसे लेकर उदासीनता है की यह कार्य सरकार व पंचायत का है । गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना, सरकार तथा पंचायत की उदासीनता। समस्या से प्रभावित लोगो का गाँव सभा में नही आना ।
जल नाला तालाब एनिकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में 1 नाला है जिस पर 2 एनिकट भी बने है लेकिन गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । 5 तालाब भी है लेकिन उनमे भी पानी नहीं रहता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना। जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना । सरकारी योजना और मौसम पर	कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत, पानी को रोकने के लिए पक्की टंकी का निर्माण करवाना । बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए । जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं। बोरवेल	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

	अधिक निर्भर रहना ।	का उपयोग कम करके कुओ से पानी निकालना । ताकि जल स्तर एकदम से नीचे न जाये ।	
रोजगार के साधन	गाँव में रोजगार के साधन खेती या नरेगा है । अन्य साधनों का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन के बेहतर प्रबंधन की कमी।
जमीन	सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

- **नजरिया नक्शा**

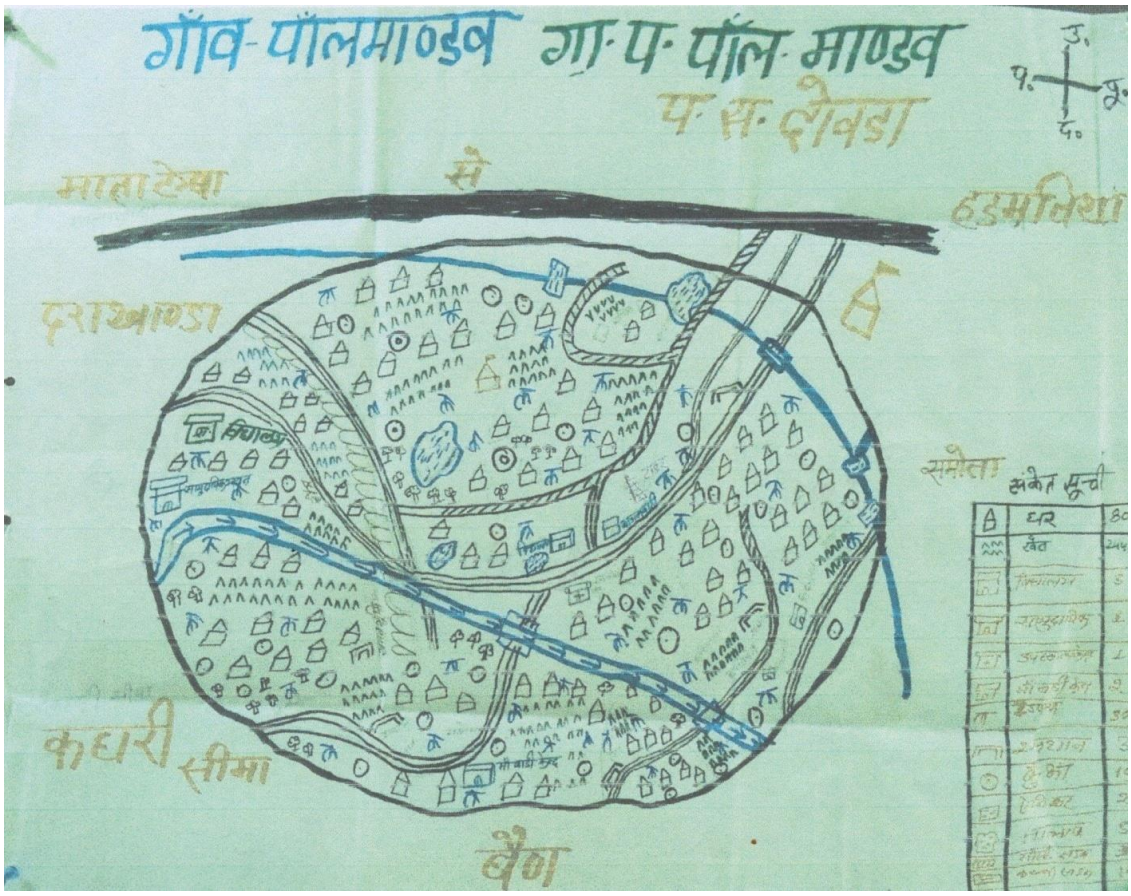

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन विकलांग पेंशन एकलनारी पालनहार	 35 1 12 2 7
पी.एम., सी.एम. आवास योजना	21
शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में	5
स्कूल के सम्बन्ध में अध्यापक नियुक्ति, 6 नये कमरे, छत मरम्मत, आर. ओ. प्लांट लगाना, शौचालय मरम्मत	2 स्कूल (रा.प्रा.वि. डूंगरा I और डूंगरा II
आंगनवाडी निर्माण	3

राशन की दुकान खुलवाना	1
स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना	1
सड़क निर्माण पक्की डामर सड़क सी. सी. सड़क	 1 6
तालाब गहरीकरण व रिंगवाल	2
हैंडपंप के सम्बन्ध में नए हैंडपंप हैंडपंप मरम्मत	 15 4
<u>केटेगरी 4 के कार्य</u> खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, रिंगवाल, कुआं गहरीकरण और मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण	 26
चेकडैम निर्माण पक्के चेकडैम कच्चे चेकडैम	 4 23
एनिकट निर्माण	8
शमशान घाट निर्माण (स्नानघर, टिन-शेड, चबूतरा)	1
पनघट निर्माण (आर.ओ.)	1
चौराहा निर्माण	6
गाँवसभा के द्वारा आपसी विवाद निपटारा	
सामुदायिक दावा प्रस्तुत करना	
व्यक्तिगत दावा लगाना	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

सेवा में,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ......पाल माण्डव......

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ....पाल माण्डव

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

आवक/जावक
क्र.........
दि.........

29/8/18

सचिव
गांव गणराज्य ग्राम सभा,
पाल माण्डव ग्रा.प. पाल माण्डव
पं.स. दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नियम 2011 के अंतर्गत [illegible]

पालमाण्डव [illegible] की गावसभा की बैठक राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुंगरा II पर आयोजित की गई। गाव सभा बैठक मे उपस्थित गाव वासीयो ने श्री/श्रीमति सुन्दर डुंगरी (प्रमा.) को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक मे निम्न लिखीत प्रस्तावों पर चर्चा की गई। और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेंडा

1. पेंशन के सम्बन्ध मे – वृद्धा, विधवा, विकलांग, पालनहार
2. pm/cm आवास के सम्बन्ध मे –
3. शौचालय के सम्बन्ध मे
4. स्कुल के सम्बन्ध मे
5. आंगनवाडी के सम्बन्ध मे।
6. सरकारी राशन की दुकान के सम्बन्ध मे।
7. स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध मे
8. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध मे
9. तलाब को गहरा करना। रिंगवाल का निर्माण
10. नये हेण्डपम्प लगाना व पुराने की मरम्मत कार्य
11. चेकडेम निर्माण / मरम्मत कराना
12. एनिकट निर्माण / मरम्मत करना
13. केटगिरी 4 के कार्य के सम्बन्ध मे / खेत समतलीकरण कुआ गहरीकरण, मेड बन्दी, पशुबाडा निर्माण, खेततलावड़ा निर्माण।
14. श्मशान घाट के सम्बन्ध मे।
15. वन पर सामुदायिक दावा करने के सम्बन्ध मे।
16. कबिज भूमी पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध मे
17. गांव के आपसी विवाद निपटाने के सम्बन्ध मे।
18. सामाजिक कुरीतियो या रोक के सम्बन्ध मे।
19. पनघट योजना के तहत शुद्ध पानी के लिये आरओ प्लाट के सम्बन्ध मे
20. खेती पर चबुतरा निर्माण के सम्बन्ध मे (लोहा के कपर) व रेत फला मे लिंडीवाला पर

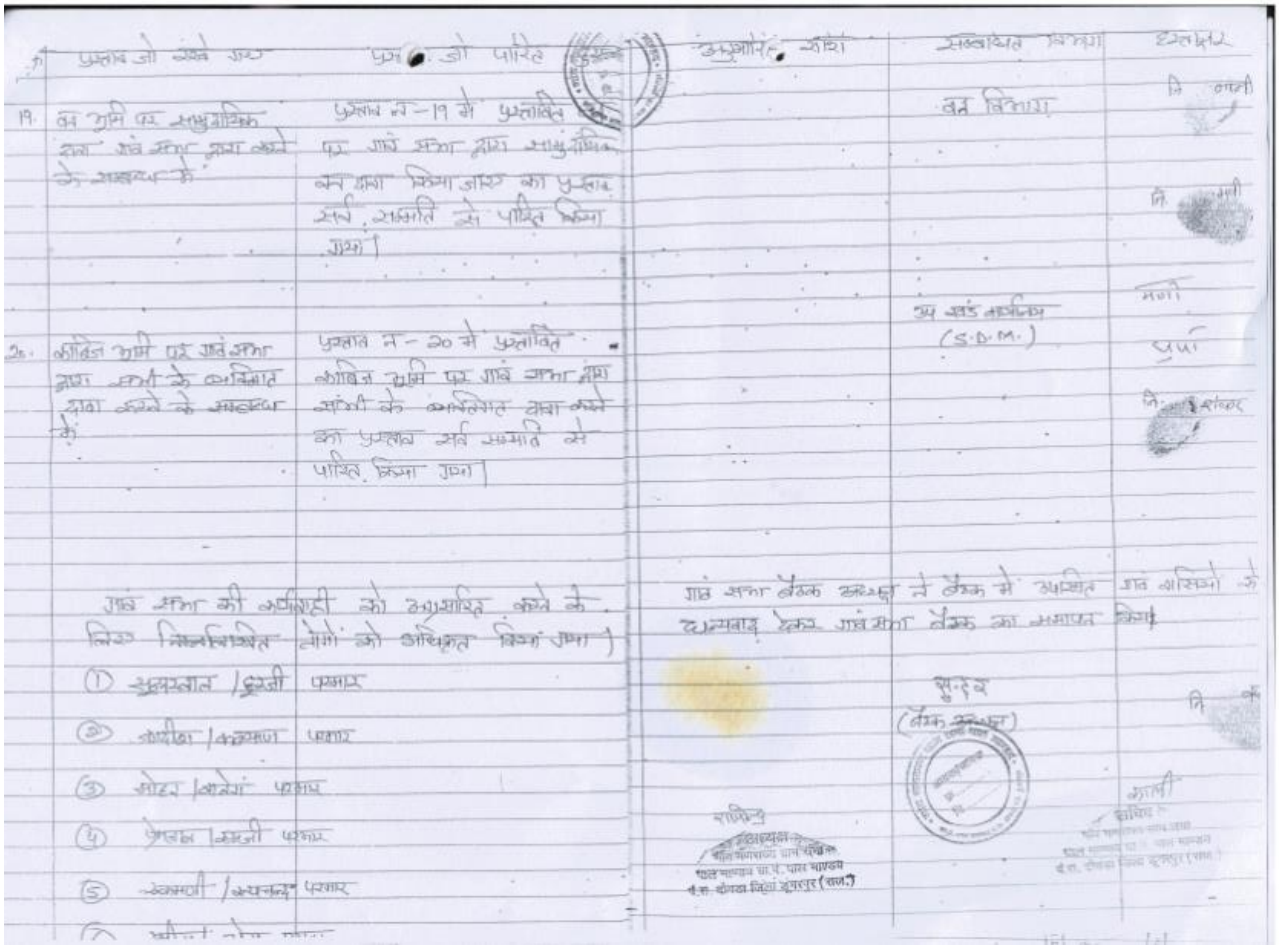

क्र.	प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित	अनुमोदन तारीख	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर
19.	वन भूमि पर सामुदायिक वन गांव सभा दावा करने के सम्बन्ध में	प्रस्ताव नं-19 में प्रस्तावित ... पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक वन दावा किया जाए का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।		वन विभाग	नि. [illegible] नि. [illegible]
20.	काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा सदस्यों के व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध में	प्रस्ताव नं-20 में प्रस्तावित काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा सदस्यों के व्यक्तिगत दावा करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।		उप खंड अधिकारी (S.D.M.)	मनो पूर्णा नि. [illegible] शंकर

गांव सभा की कार्यवाही को हस्ताक्षरित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया।

1. भूराराम / [illegible] परमार
2. [illegible] / [illegible] परमार
3. मोहन / [illegible] परमार
4. प्रेमाराम / [illegible] परमार
5. रूकमणी / [illegible] परमार
6. [illegible]

गांव सभा बैठक अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित ग्राम वासियों को धन्यवाद देकर गांव सभा बैठक का समापन किया।

सुन्देर (बैठक अध्यक्ष)

राजेन्द्र
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति ग्राम [illegible] पाल मान्डवा ग्रा.पं. पाल मांडवा
पं.स. सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

नि. [illegible]

[illegible]
सचिव
वन अधिकार समिति ग्राम [illegible] पाल मान्डवा ग्रा.पं. पाल मान्डवा
पं.स. सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1. जगदीश 09929215866
2. सुन्दरलाल 09571483910